# RAJYA SABHA

*Friday, the 9th March, 2007/18 Phalguna, 1928 (Saka)*

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### फसलों के असफल या नष्ट होने पर किसानों को राहत

*161: **श्री संजय राउत:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों की फसल के असफल या नष्ट हो जाने पर तुरंत आर्थिक सहायता या राहत प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर कोई प्रावधान किया है ताकि किसान आत्महत्या करने को बाध्य न हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को देखते हुए सरकार ने कोई कृषि आयोग गठित करने का फैसला किया है ताकि किसानों को संकट के समय में तत्काल सहायता प्रदान की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

कृषि राज्य का विषय होने की वजह से राज्य सरकारें फ़सलों के नष्ट होने या खराब होने की स्थिति में राहत के प्रावधान सहित जमीनी स्तर पर किसानों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। भारत सरकार कृषि के विकास के लिए वित्तीय और अन्य समर्थन के साथ विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतियों के जरिये राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करती है। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, जिससे फसलों को नुकसान होता है, आवश्यक राहत उपाय करने के लिए उनको मदद करने हेतु राज्य सरकारों के पास आपदा राहत कोष के तहत कोष आसानी से उपलब्ध होते हैं। भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारें इस कोष में 3:1 के अनुपात

में अंशदान करती हैं। भारत सरकार द्वारा आपदा राहत कोष के अलावा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से अतिरिक्त सहायता के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गम्भीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में विचार किया जाता है। मौजूदा मानदण्डों के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण 50% या इससे अधिक फसल हानि होने की स्थिति में लघु एवं सीमान्त किसानों को वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए 1000 रु॰ प्रति हैक्टे॰, सिंचित क्षेत्रों के लिए 2000 रु॰ प्रति हैक्टे॰ तथा वार्षिक फसलों के लिए 4000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर पर कृषि आदान सब्सिडी के रूप में सहायता स्वीकार्य है। लगातार दूसरे वर्ष (या आगामी वर्ष) गम्भीर आपदा घटित होने की स्थिति में लघु एवं सीमान्त किसानों को छोड़कर किसानों के लिए भी उपर्युक्त दरों तथा निश्चित शर्तों के अधीन आदान सब्सिडी उपलब्ध होती है।

भारत सरकार ने किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और उन्नत कृषि प्रणालियों को अपनाने में मदद करने हेतु उनको समय पर तथा पर्याप्त ऋण सहायता देने के लिए एक व्यापक ऋण नीति को भी लागू किया है। इस नीति में किसानों की मदद करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं-

- दो वर्षों के लिए आस्थगन सहित पांच वर्षों की अवधि के लिए बकाया ऋणों के पुन: निर्धारण के लिए प्रावधान करते हुए संकटग्रस्त किसानों और बकायेदार किसानों के मामले में ऋण की पुन: संरचना जिससे सभी किसान नए ऋण के लिए पात्र बन जाएंगे।
- बैंकों को किसानों द्वारा निजी साहूकारों से लिए गए ऋणों से छुटकारा दिलाने के लिए उनको ऋण देने की अनुमति दी गई है।
- किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में संशोधन के जरिये आसान ऋण वितरण प्रणाली।

खरीफ 2006-07 से 3 लाख रुपये तक के फसल ऋणों पर ब्याज की दर घटाकर 7% प्रति वर्ष कर दी गई है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम भी क्रियान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई फसल हानि से बचाना है। उन जोखिमों के कारण जिनकी रोकथाम नहीं की जा सकती है, जैसेकि प्राकृतिक आग तथा विद्युत, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाईफून, झंझावात, आंधी, बाढ़, जलप्लावन तथा भू-स्खलन, सूखा, सूखे की अवधि, कीट/रोग आदि, उपज में होने वाली हानि को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा का भी प्रावधान किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार ने किसानों द्वारा आत्महत्याओं से सर्वाधिक प्रभावित 31 जिलों के लिए 16978.69 करोड़ रुपये के समतुल्य एक पुनर्वास पैकेज की भी घोषणा की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**Relief to farmers upon failure or destruction of crops**

†*161. SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have made any provision at the ground level to provide immediate financial assistance or relief to the farmers in the event of failure or destruction of their crops so that the farmers are not compelled to commit suicide;

(b) if so, the comprehensive details thereof;

(c) whether it is a fact that in view of suicides being committed by the farmers, Government have decided to constitute any Agriculture Commission, so as, to provide immediate assistance to the farmers in the time of crisis; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) and (b) Agriculture being State subject, the State Governments are responsible for providing various sesrvices to farmers at the ground level including provision of relief in the events of failure or destruction of the crops. The Government of India supplements the efforts of the State Governments through various schemes, programmes and policies with financial and other support for the development of agriculture. Further, fund is readily available with the State Governments under the Calamity Relief Fund to enable them to take necessary relief measures in the wake of natural calamities resulting in destruction of crops. Government of India and State Governments concerned contribute to this Fund in the ratio of 3:1. Additional assistance over and above the Calamity Relief Fund is

†Original notice of the question was received in Hindi

considered by Government of India from the National Calamity Contingency Fund for natural calamities of severe nature in accordance with the established procedure. Under the existing norms, assistance towards agricultural inputs subsidy is admissible to small and marginal farmers where crops loss on account of natural calamities is 50% and above at the rate of Rs. 1000 per hectare for rainfed areas, Rs. 2000 per hectare for irrigated areas and Rs. 4000 per hectare for perennial crops. Input subsidy is also admissible to farmers, other than small and marginal farmers, in case of severe calamity occurring for a second consecutive year (or subsequent year) at the above rates and subject to certain conditions.

Government of India has also put a comprehensive credit policy in place for providing timely and adequate credit support to farmers to enable them to adopt modern technology and improved agricultural practices. The policy includes the following provisions to assist farmers.

- Debt restructuring in respect of farmers in distress and farmers in arrears providing for rescheduling of outstanding loans over a period of five years including moratorium of two years, thereby making all farmers eligible for fresh credit.
- Banks are allowed to advance loans for redeeming the loans taken by farmers from private money lenders.
- Simplified credit delivery mechanism through refinement of Kisan Credit Card scheme.

The rate of interest on crop loans up to a principal amount of Rs.3 lakhs has been reduced to 7% per annum with effect from kharif 2006-07.

The National Agricultural Insurance Scheme is also under implementation with the objective to protect the farmers against the crop losses suffered on account of natural calamities. Comprehensive risk insurance is provided to cover yield loss due to non-preventable risks such as natural fire and lightening; Storm, Hailstorm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane, Tornado, Flood Inundation and Landslide; Drought, Dry Spells; Pests/Diseases etc.

In addition to the above, the Government of India has announced a rehabilitation package amounting to Rs.16,978.69 crore for 31 districts worst affected by farmers' suicides.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

श्री संजय राउत: सभापति महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंता का विषय है लेकिन मंत्री जी ने अपने सरकारी उत्तर में, फिर एक बार मुझे लगता है कि गोलमाल बातें कहीं हैं। मेरा सीधा प्रश्न किसानों की आत्महत्याओं के बारे में था। इस पूरे उत्तर में इस गंभीर मामले को स्पर्श तक नहीं किया है। कृषि राज्य का विषय है लेकिन केन्द्रीय मंत्रालय की भी उतनी ही जवाबदेही और जिम्मेदारी है। आज देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र के विदर्भ में हो रही हैं लगभग 3000 से ज्यादा किसान और उनके परिजनों ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री महोदय के पैकेज घोषित होने के बाद आत्महत्याओं की संख्या बढ़ी है। आज ही दो किसानों ने आत्महत्या की है, कल नासिक में की है। लेकिन सर, बात ऐसी है कि यवतमाल जिले की वणी तहसील में तेजापुर ग्राम निवासी एक किसान पुंडलिक गिरसवा ने हाल ही में कृषि कार्यालय में आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत बैलगाड़ी के लिए मंजूर कर्ज उसको नहीं मिला, इसीलिए उसने आत्महत्या की है। सर, बैलगाड़ी का कर्ज मात्र 5000 रुपए था जो मंजूर किया गया था लेकिन फिर भी उसको वह कर्ज नहीं मिला। मेरा प्रश्न है कि किसान सरकारी और साहूकारी कर्ज से पहले से ही मर रहे हैं, लेकिन यह जो प्रशासन में नए साहूकार हैं, जो किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं, उनका आप कैसे बंदोबस्त करेंगे? जो ऐसे अधिकारी हैं, क्या उनके ऊपर आप मनुष्यवध का गुनाह दाखिल करेंगे? इसके अलावा जो पैकेज दिया हैं, वह अगर अब तक किसानों को नहीं मिल रहा है तो वह पैकेज कहां गया और उसका ब्यौरा क्या है?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I have to make one thing clear. If you read the question, it is mainly regarding financial assistance or relief to the farmers in the event of failure or destruction of their crops. That is the reason why, whatever be the Government of India's overall policy and schemes, they have been given in detail. The issue which has been raised by the hon. Member is a quite serious issue. There are no two opinions about that. In fact, the district which has been referred to is one of the worst affected districts and a number of schemes have taken up in these districts. The Prime Minister's package is restricted to six districts of Vidarbha and the important district is Yavatmal. In that particular package, a total monetary provision of Rs.3,873 crores has been made for the six districts of Vidarbha. This provision is for three years. Out of that, an amount of Rs. 1,530 crores has been released to the State Government and it is the responsibility of the State Government to execute it. This relief has been given mainly for rescheduling of loans which has been done by banks.

Secondly, the most important thing is waiver of interest. An amount of Rs. 784 crores interest has been waived in the six districts in respect of each and every farmer. That money has been deposited in the banks. There is no burden. All these farmers have become eligible to take credit.

Thirdly, for major, medium and minor irrigation a total amount of Rs. 700 crores has been provided and there are a number of other schemes, including watershed developed, rain-water harvesting, horticulture, micro irrigation, extension services and subsidiary income. Everywhere money has been provided by the Government of India to the State Government. It is the responsibility of the State Government to execute it. Whatever report I have got from the State Government, 75 per cent of the amount they have already spent, they have already distributed. They are asking for additional amount. We are going to fulfill their requirement. But so far as the specific example which the hon. Member has given that money was asked for but it was not given is concerned, I will not be able to give that information. I will get that information. I have no objection in collecting that information and giving it to the hon. Member and also the House.

**श्री संजय राउत:** सर मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है। सर, मैंने कृषि आयोग के गठन के बारे में प्रश्न पूछा था और सरकार का उत्तर ''नहीं'' है। चिदम्बरम जी ने भी उनकी डेढ़ घंटे की बजट स्पीच में किसानों की आत्महत्याओं का जिक्र तक नहीं किया। यह तो एक बहुत बड़ी विडंबना है किसानों के लिए। यू०पी०ए० सरकार की चेयरमैन सोनिया गांधी जी महाराष्ट्र के लातूर में एक किसान सम्मेलन में गईं और घड़ियाली आंसू बहाए। मैडम जी ने कहा कि किसानों ...(**व्यवधान**)... ये मगरमच्छ के आंसू हैं, सुनो। ...(**व्यवधान**)...

**श्रीमती विप्लव ठाकुर:** सर इसको वापस लिया जाए। इसका मतलब क्या है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please don't disturb. *(Interruptions)*.

**श्री संजय राउत:** मैडम ने कहा है ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** आप क्वेश्चन कीजिए, सीधा क्वेश्चन कीजिए। ...(**व्यवधान**)... बैठिए... बैठिए...(**व्यवधान**)... Please take your seat. *(Interruptions)*.

**श्री संजय राउत:** मैं क्या बोल रहा हूं, आप सुनिए तो सही। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, he should put a direct question. *(Interruptions)*.

**श्री सभापति:** आप क्या कहना चाहती हैं? ...(**व्यवधान**)... तीनों में से एक बोल लीजिए। ...(**व्यवधान**)... मैबल जी, वे दो ही बहुत हैं, आप क्यों खड़ी हो रही हैं? ...(**व्यवधान**)... Please don't disturb.

**श्री संजय राउत:** सोनिया गांधी जी ने उस सम्मेलन में कहा था कि किसानों की आत्महत्याओं से मुझे वेदना होती है।

**श्री सभापति:** सोनिया गांधी जी ने अच्छी बात कह दी, तो उसका जिक्र भी नहीं करें? ...(**व्यवधान**)...सोनियां गांधी नहीं कर सकतीं अच्छी बात?

**श्री संजय राउत:** सोनिया गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी सर। सोनिया गांधी जी ने कहा था कि किसानों की आत्महत्याओं से मुझे वेदना होती है। जब तक किसान दुखी है, तब तक मैं चैन से नहीं रह सकती, यह बात सोनिया गांधी जी ने कही थी।

**श्री सभापति:** यह आपको बुरी लगी? ...(**व्यवधान**)...

**श्री संजय राउत:** और इसी सम्मेलन में यू॰पी॰ए॰ चेयरमैन ने घोषणा की थी कि किसानों के कर्ज माफी के बारे में विचार होगा और कर्ज समस्या के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। मेरा प्रश्न है कि क्या किसानों के, छोटे किसानों के कर्ज माफी का कोई विचार सरकार सोनिया गांधी के इशारे के बाद कर रही है? और सोनिया गांधी ने जो बात कही थी ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** उसको पूरा करने के लिए क्या किया है?

**श्री संजय राउत:** यू॰पी॰ए॰ चेयरमैन ने जो बात कही थी, तो ऐसी कोई समिति अब तक गठित हुई है या नहीं किसानों के कर्ज माफी के बारे में?

**श्री सभापति:** ठीक है, मंत्री जी बोलिए।

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, a Committee has been appointed under the Chairmanship of Prof. Radhakrishnan. The Chairman, NABARD, Shri Thorat, and one other economist are the members of this Committee. This Committee was asked to submit its report by December end. But we have received a request from them saying that they would be able to submit the report only by the end of May.

**श्री संजय राउत:** तब तक किसान मरेंगे।

SHRI SHARAD PAWAR: The Terms of Reference are: what course of action should be taken against the farming community if they are not in a position to pay the money; whether waiver is possible and if waiver is there, what will be the total burden. These types of terms have been given to them. We are anxiously waiting for the report. The Committee is not only meant for the six districts of Vidarbha, but for the entire country. We would definitely like to take a decision in this regard. But we are waiting for the report.

**श्री सभापति:** श्री यशवंत सिन्हा, बोलिए?

**श्री प्यारे लाल खंडेलवाल:** धन्यवाद, सभापति जी।

**श्री सभापति:** अरे आप नहीं, यशवंत सिन्हा जी।

**श्री प्यारे लाल खंडेलवाल:** सर, मेरा नाम था।

**श्री सभापति:** नाम तो बहुत हैं।

**श्री प्यारे लाल खंडेलवाल:** तो फिर मुझे नंबर दे दीजिए।

**श्री सभापति:** ऐसा नहीं कर सकते कि ये नाराज हो जाएं। ...(व्यवधान)...

**श्री बनवारी लाल कंछल:** सर, मुझे भी नंबर दे दीजिए।

**श्री सभापति:** आपको नंबर दिया हुआ है भगवान ने। मैं क्या करूं ?...(व्यवधान)... मैं नहीं देना चाहता नंबर। सिन्हा जी, बोलिए।

**श्री यशवंत सिन्हा:** सभापति महोदय, जिस पैकेज की घोषणा प्रधान मंत्री जी ने विदर्भ जाने के बाद की थी, उसके बारे में हम लोगों को समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिला कि अभी हाल में महाराष्ट्र सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ-पत्र दाखिल किया था। उसमें यह कहा गया कि उस पैकेज के कार्यान्वयन के बारे में प्रधान मंत्री कार्यालय से कुछ नहीं हो रहा है, उसमें ढिलाई हो रही है। उसके बाद ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर बाहर से दबाव बनाया गया और फिर प्रधान मंत्री कार्यालय से उसका खंडन आया। उस खंडन में यह कहा गया था कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। सर, मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने शपथ-पत्र में क्या कहा था तथा तथ्य क्या थे और अभी उस बारे में क्या स्थिति है? इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह किसानों का सवाल है और माननीय शरद पवार जी बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं। शायद ये BCCI में जाने के बाद से सिर्फ अंग्रेजी बोलने लगे होंगे, यह मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर इस प्रश्न का जवाब हिन्दी में देंगे तो अच्छा होगा।

**श्री शरद पवार:** महोदय, जहां तक इस रिपोर्ट की बात है, यह बात सच है कि मैंने भी इस तरह की एक रिपोर्ट अखबार में पढ़ी थी और उसके पढ़ने के बाद प्रधान मंत्री कार्यालय ने इस बारे में मालूमात करने का प्रयास किया। एक गवर्नमेंट ने प्रधान मंत्री कार्यालय को जवाब दिया है कि जिस तरह की रिपोर्ट अखबार में आई है, वह रिपोर्ट पूरे तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह बात सच है कि इस एफिडेविट में महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा कि जो वेरियस आइटम्स हैं, जिनके मुताबिक सरकार ने पैसे दिए थे, जैसे इरिगेशन के लिए पैसे दिए थे, इन्टर-वीविंग के लिए दिए थे, सप्लीमेंट्री इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए दिए थे, चाहे डेरी हो या पोलिट्री हो, इस तरह का कोई भी काम शुरू कर सकते हैं और एडिशनल इनकम के लिए, कुछ पैसे दिए थे। इसमें एक और प्रावधान था कि हर डिस्ट्रिक्ट के कलैक्टर को पचास लाख रुपए की राशि इसलिए दी गई थी कि यदि किसी के घर में कोई दुखद घटना हो गई हो तो उनको तुरन्त मदद की जा सके। यह जो पचास लाख रुपए का अमाउंट सभी कलैक्टर्स को दिया गया था, इसका डिस्बर्सल करने में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। यह करने के बाद राज्य सरकार से फिर डिमांड आ गई कि जो आपने हमें पहली एलॉटमेंट की थी, हमने इसका पूरा इस्तेमाल किया है और अब हमें और ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। उन्होंने जो इस ज्यादा पैसे के लिए लिखा, उसका जिक्र भी एफिडेविट में आया है, लेकिन यह बात भी सच है कि जो टोटल अमाउंट पैकेज सैंक्शन किया था, इसमें खासतौर से इरिगेशन के लिए जो पैसे डिस्बर्स करने थे, उसमें थोड़ी देरी हो गई। इसमें देरी होने का यह रीजन था कि इरिगेशन के लिए जो प्रोजेक्ट्स क्लीयर किए थे, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स को एन्वायर्न्मेंट क्लीयरेंस नहीं मिला था और जब तक एन्वायर्न्मेंट क्लीयरेंस नहीं मिलता तब तक । AIDP के अमाउंट रिलीज करने में दिक्कत आती है। जो हमारे वरिष्ठ साथी व सदस्य हैं, यह बात मुझसे ज्यादा उनको मालूम है। हम इस बारे में निगरानी रखते हैं कि रेगुलर बेसिस पर रिव्यू लेकर कि ये पैसे रिलीज हो जाएं और इस तरह का एक्सपेंडिचर कैसे होगा, इस पर ध्यान देते हैं।

**श्री सभापति:** आप यह बताइए कि जो एफिडेविट महाराष्ट्र सरकार ने दिया, वह सही है या प्रधान मंत्री जी ने क्लेरिफिकेशन लिया, वह सही है?

**श्री शरद पवार:** इसमें ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि एफिडेविट में उन्होंने जो बात कही है कि जो पचास लाख रुपए का अमाउंट दिया था वह खत्म होने के बाद हमने जो नई डिमांड की है, वह अभी तक पूरी नहीं हुई। इसे पूरा करने के लिए अभी तक जो कदम उठाने होंगे, वे उठाए जाएंगे।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, farmers are facing multifarious problems like increased prices of agricultural inputs on account of inflation. And the Government's policy is to reduce excise duty on various imported agricultural products such as cotton. These are forcing them to be trapped in debt resulting in suicide in many cases. Keeping this in view, I would

like to know from the Government whether they would agree to fix up remunerative prices of all agricultural products so that the interests of domestic producers are protected.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, there is a very well-established machinery in our country with CACP. After a detailed study on the prices of a number of agricultural products, the CACT has recommended to the Government of India, and we will take appropriate decisions. Cotton is also one of the important crops where the Government of India do take the decision, and the decision has been taken.

**श्री दत्ता मेघे** : सभापति जी ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** मैं आपको समय दूंगा।

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:** माननीय सभापति महोदय ...(**व्यवधान**)...

**श्री दत्ता मेघे:** सभापति जी ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** आपका तो हाथ ऊपर है, पर मेरे पास अभी पचास नाम और हैं, एक तो पिक अप करूं।

**श्री दत्ता मेघे:** सर, पूरे सेशन में ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** अगर आप पूरे सेशन में हाजिर नहीं होंगे तो मेरी गलती नहीं है।

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:** माननीय सभापति महोदय, आज जो प्रश्न यहां पूछा गया है ...(**व्यवधान**)...

**श्री के॰ बी॰ शणप्पा:** सभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** आप भी बैठिए ...(**व्यवधान**)... मैं निकाल थोड़ा ही न रहा हूं ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए।

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:** सभापति महोदय, यह प्रश्न, जो आज यहां पूछा गया है, वह मुख्यतया इस बात से संबंधित है कि जब फसलें नष्ट हो जाती हैं तो उसके बाद किसान को आर्थिक सहायता के रूप में सरकार क्या करती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का दो चीजों की ओर ध्यान दिलाकर प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जब भी फसलें नष्ट होती हैं, चाहे वह प्राकृतिक आपदा के कारण हो या बीमारी अथवा रोग के कारण हो, ऐसी स्थिति में किसानों को राहत देने के दो उपाय सरकार के पास अभी तक है। एक उपाय तो क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा

है। सरकार फसल बीमा योजना के माध्यम से सहायता देती है और दूसरा रिलीफ और रीहैब्लीटेशन के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, हालांकि वे कहेंगे कि यह स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट के लोगों को इसे देखना चाहिए, लेकिन रिलीफ और रीहैब्लीटेशन का जो मैन्युअल है, सभी प्रदेशों के अंदर रिलीफ और रीहैब्लीटेशन का मैन्युअल 1960-70 के दशक के बाद से आज तक कभी रिवाइज नहीं किया गया है। जो नॉर्म्स आज रिलीफ एंड रीहैब्लीटेशन मैन्युअल में हैं, वें सत्तर के दशक के नॉर्म्स के आधार पर हैं। आज भी रिलीफ एंड रीहैब्लीटेशन उसके आधार पर दिया जाता है। अगर एक एकड़ में फसल नष्ट हो गई है तो आज उसका मूल्य, उसकी लागत या किसान की जो इनपुट है, वह कई हजार रुपए में होगी। उत्पादन के बाद जो कीमत मिलनी है, वह पचास हजार रुपए में होगी, लेकिन उसे जो रिलीफ मिलता है वह मुश्किल से हजार या बारह सौ रुपए का मिलता है।

दूसरी बात यह है कि क्रॉप इंश्योरेंस के माध्यम से आप किसान को जो आर्थिक सहायता देते हैं, उसमें अभी तक का अनुभव यह है कि क्रॉप इंश्योरेंस के नाम से जो स्कीम, जो योजना लागू है, यह केवल बैंकों के ऋणों, को-ऑपरेटिंव बैंक या अन्य बैंकों के ऋणों को ही चुकता करता है। यानी इस बात की गारंटी है कि बैंक का ऋण तो चुकता हो जाएगा, लेकिन किसान पूरे साल अपने परिवार का जो भरण-पोषण करेगा, वह कैसे करेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों पर क्या सरकार आज की परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करके, उनको अपग्रेड करने पर विचार कर रही है? यदि हां तो उस संबंध में सरकार का क्या प्रस्ताव है?

**श्री शरद पवार :** माननीय सभापति जी, भारत सरकार की तरफ से इस देश में जो सिस्टम एक्सेप्टिड है, उस पर कई सालों से अमल हो रहा है। इसके मुताबिक कैलेमिटी फंड यानी नेशनल कैलेमिटी कंटीन्जेंसी फंड, दो किस्म के फंड, इससे राज्य सरकार को मदद मिलती है। कैलेमिटी रिलीफ फंड की तरफ से हर साल हर स्टेट गवर्नमेंट को मदद मिलती है। इसमें जो अमाउंट है, जो मदद होती है, उसमें यह है कि 25 परसेंट जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहती है।

**श्री सभापति:** इनका प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि यह लागू कब से है, उसमें परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है।

**श्री शरद पवार:** सभापति महोदय, मैं बताता हूं। नेशनल कैलेमिटी–फसल नष्ट हो जाना कैलेमिटी है, सपोज कोई भूकंप हुआ, फ्लड हो गया, यह कैलेमिटी है, इससे नुकसान हुआ यह कैलेमिटी है, हम इसके लिए भी यहां से पैसे देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आने के बाद, एक टीम भेजकर सर्वे कराने के बाद हाइएस्ट लेवल पर पैसे देते हैं। इसके जो नॉर्म्स थे, इसके नॉर्म्स में बदलाव करने की आवश्यकता है, ऐसी सूचना कई राज्य सरकारों के पास से आई है। आज से करीब आठ या नौ महीने पहले इसके नॉर्म्स बदलने का प्रस्ताव हमारे सामने आया था। इसमें

बदलाव किया है। हर आइटम पर बदलाव किया है। पहले जो नॉर्म्स थे, उनमें जो बदलाव किया है, एक साल के बाद यानी ईयर 2006-07 में जो बदलाव हुए हैं, उसकी डिटेल स्टेटमेंट मैं सदन में सब्मिट करने के.लिए तैयार हूं।

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:** सभापति जी, आधा जवाब अभी भी नहीं आया है।

**श्री सभापति:** आप आधा ही सुन लीजिए। दूसरे मैम्बर्स भी हैं।

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:** केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आपने जो क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम लागू की है, इसमें बैंक के ऋणों का तो इंश्योरेंस हो जाता है, लेकिन किसान को जो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है।

**श्री सभापति:** वह अलग सब्जेक्ट है। श्री दत्ता मेघे।

**श्री दत्ता मेघे:** सभापति जी, किसानों द्वारा जो आत्महत्याएं हो रही हैं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं। केन्द्र सरकार की ओर से जो पैकेज दिया गया है, उसके अंतर्गत कुछ काम हुआ है, लेकिन विदर्भ में जो 6 जिले हैं, इन जिलों के अंदर रोज 5-6 किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। पिछले साल भी एक हजार से अधिक आत्महत्याएं हुई हैं और लगातार हो रही हैं। आपने जो पैकेज दिया है, उसका फायदा जरूर किसानों को मिला है, लेकिन इरिगेशन के बारे में बहुत सी administrative दिक्कतें हैं। यह जो करोड़ों रुपए का पैकेज दिया गया है, उसका किसानों को डायरेक्ट फायदा नहीं मिल रहा है, यह मैं कह रहा हूं। वहां रोज आत्महत्याएं होती हैं और आत्महत्याओं के बारे में जो भी पैकेज है, वह किसानों को डारेक्ट मिले, इसके बारे में पुनर्विचार होना चाहिए। ये आत्महत्याएं सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रही हैं, विदर्भ में भी हो रही हैं, रोज हो रही हैं इनके बारे में सिर्फ पैसा देकर नहीं, और क्या-क्या उपाय हम सोच सकते हैं, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। मैं हमारे नेता श्री शरद पवार जी से कहूंगा कि वे भी रोज अखबार पढ़ते हैं, उनको पूरी मालूमात है कि इस बारे में जो administrative difficulties हैं, उनके कारण इरिगेशन के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके बारे में लोगों के अंदर एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है कि ये आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं? मैं जानना चाहता हूं कि इन आत्महत्याओं की संख्या जो बढ़ रही है, वह कम हो, इस बारे में सरकार कुछ सोच रही है या नहीं क्योंकि यह एक important question है।

**श्री शरद पवार:** सभापति जी, इन्होंने जो इरिगेशन की बात कही है, खास तौर पर माननीय सदस्य जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां की सबसे बड़ी समस्या इरिगेशन ही है। उस राज्य का जो percentage of irrigation है, वह 16 परसेंट के आस-पास है और ये जो 6 जिले हैं, इनका percentage of irrigation 5 परसेंट से नीचे है। इसलिए यहां ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता

है। प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो पैकेज एनाउंस हुआ, उसमें इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के सभी major irrigation projects, सभी medium irrigation projects और सभी minor irrigation projects का inclusion इसमें हुआ है और इनके लिए 3 सालों में पैसे दिए जाएंगे। इस साल विदर्भ के इन 6 जिलों के major irrigation projects के लिए 295 करोड़ 3 लाख रुपए दिए गए हैं, medium irrigation projects के लिए 38 करोड़, 1 लाख रुपए दिए गए हैं और minor irrigation projects के लिए 323 करोड़ 38 लाख रुपए दिए गए हैं। ये पैसे इरिगेशन के लिए हमने दिए हैं, लेकिन यह बात सच है कि कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पैसे देने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि विदर्भ की एक खासियत यह है कि उस area में forest land ज्यादा है और forest land ज्यादा होने की वजह से जब तक forest & environment ministry का clearance नहीं मिलता, तब तक इन प्रोजेक्ट्स को हम स्पीड नहीं दे सकते, लेकिन कई बार इसके लिए special meetings करके, हम वह पैसे expedite कर सकते हैं और इस पर ध्यान दिया गया है। शायद इसी हफ्ते इस बारे में environment ministry में एक मीटिंग भी है। उनसे clearance लेकर, उनको पैसे देने की जो भी आवश्यकता है, उस पर ध्यान दिया जाएगा।

**श्री बनवारी लाल कंछल:** सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि विदर्भ में जो किसान लोग आत्महत्याएं कर रहे थे, उनको आत्महत्या करने से रोकने के लिए और कर्ज़ा माफ करने के लिए पैकेज दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विदर्भ की तरह, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और सारे प्रदेशों के किसानों का कर्ज़ा माफ करने के लिए क्या मंत्री जी कोई पैकेज देंगे या नहीं देंगे?

**श्री सभापति:** यह सवाल इसमें नहीं आता है।

**श्री प्यारे लाल खंडेलवाल:** सभापति जी, मेरा माननीय मंत्री जी से एक सीधा सवाल है कि किसानों पर दो तरह के ऋण हैं–एक बैंक का और दूसरा साहूकार का। अधिकांश किसान, साहूकारों के ऋण से ग्रस्त हैं। वे ब्याज पर ब्याज लेते जाते हैं, इसलिए किसान कर्ज़दार रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या साहूकारों के ऋणों से किसानों को मुक्त कराने की कोई समग्र योजना है, क्योंकि किसान लोग कई बार ब्याज देकर, मूल पूंजी से ज्यादा पैसा दे चुके होते हैं। लेकिन फिर भी कर्ज़दार हैं और आत्महत्या का यह भी एक कारण है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई नीति बनाकर प्रांतों का मार्गदर्शन करेगी?

**श्री शरद पवार:** यह बड़ी गम्भीर समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज किसानों को crop के loan के लिए पैसा मिलने के जो दो alternative routes उनके सामने हैं, वे हैं को-ऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से और दूसरा फाइनांसियल इंस्टीट्यूशंस, जो बैंक्स हैं, उनके माध्यम से।

यह बात सच है कि इन्हीं दोनों इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जितनी आवश्यकता थी, उतना पैसा नहीं जा रहा था। इसलिए इस सरकार ने तीन साल में total agriculture credit तिगुना करने का एक महत्वपूर्ण decision लिया है। इसका उल्लेख कल फाइनांस मिनिस्टर की स्पीच में भी आ गया कि जब यह सरकार हुकूमत में आई, तब the total disbursement for crop loan in entire country was Rs. 86,000 crores, this year we have completed Rs. 1,75,000 crores and after this coming financial year, probably, we will be able to reach up to Rs. 2,20,000 crores. Still, as Agriculture Minster, I am myself not happy क्योंकि इतना करने के बाद भी 40 फीसदी किसान ही क्रेडिट नेट में आते हैं। 60 फीसदी किसान आज भी इसमें नहीं आते। चूंकि वे इसमें नहीं आते हैं, उनकी यह समस्या हल नहीं होती, इसलिए वे प्राइवेट मनीलेंडर्स के पास जाते हैं। प्राइवेट मनीलेंडर्स के हाथों से उनको निकालने के लिए हमें क्रेडिट नेट बढ़ाना होगा। बैंकों को ऐसी सूचना दी गई है कि जिन किसानों ने मनीलेंडर्स के पास से पैसा लिया है, उसे वापस करने के लिए भी बैंकों को उनको पैसा देना चाहिए। इसकी शुरुआत इस साल से हुई है। मगर एक बात है कि पूरा काम हुआ है, ऐसा कहने की परिस्थिति नहीं है। कई राज्यों ने, जैसे महाराष्ट्र की बात यहां कही गई, महाराष्ट्र सरकार ने, जो साहूकार इस तरह से पैसा देते हैं और ज्यादा ब्याज लेते हैं, उनके ऊपर सख्ती से पुलिस कार्रवाई की process शुरू की है। बाकी राज्यों को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और हम यह सभी राज्यों को लिखने वाले हैं।

SHRIMATI HEMA MALINI: Thank you, Sir. Instead of relegating the suicides committed by farmers to mere statistics discussed in Parliament, what measures does the Government propose to take to prevent this? At a recent camp at Vidarbha, which I happened to visit, about 4000 farmers were being counselled on the issues and problems they were facing. Is the Government planning to undertake counselling camps in such places where low cost farming methods based on natural techniques will be promoted? Agricultural experts can guide them in order to make them self-sufficient and, also at the same time, boost their self-confidence. Is the Government seriously considering measures like Kisan Credit Card and Crop Insurance Scheme? This I would like to know from the hon. Minister.

SHRI SHARAD PAWAR: In fact, whatever the amount and the number of steps, which have been taken, and which have been announced by the Prime Minister, that aspect is one thing. There is some equally important work, which one has to do, that is, to create confidence among the farming community in that particular belt. We have requested through State Government and district machinery to associate many NGOs, which should

visit the villages, which should sit and interact with the farmers इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने cheap method cultivation की। जैसे organic farming है, इस तरह का काम वहां करें। इसको encourage करें। समस्या आती है, मगर इसके लिए आत्महत्या रास्ता नहीं है। इसके लिए एक मन बनाने के लिए, इसके लिए आत्मिक शक्ति को मजबूत करने के लिए कुछ काम करने की आवश्यकता है। कई organisations, जैस रवि शंकर जी की organisation है, उस क्षेत्र में काम करती है। ऐसी कई organisations ने पिछले महीने से इस क्षेत्र में काम शुरू किया है। इसका असर कहां तक हुआ है, अभी मैं यह नहीं कह सकता हूं, मगर इस रास्ते से जाने की हमने तैयारी कर रखी है।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Thank you, Sir. This package is applicable to 31 districts in the country. Out of these 31 districts, 16 districts are in Andhra Pradesh. Sir, unfortunately, in those 16 districts, on about 16,45,000, farmers who have availed of loan of Rs. 917 crores from varios banks, the interest accrued is Rs. 1733 crors. This amount is merged with the principal amount by rescheduling prior to April 2004, Sir, and this package is applicable from 1st April, 2004 to 30th June, 2006. By virtue of this condition, these poor farmers who are in real distress are unable to avail of this facility of interest waiver. I would like to know whether this has come to the notice of the Government. If so, what is the action taken on it and how are you going to help the distressed farmers? Already 3920 farmers have committed suicides during the past three years in Andhra Pradesh alone.

SHRI SHARAD PAWAR: You see, in Andhra Pradesh, 16 districts have been selected in this package and the total amount, which has been sanctioned for Andhra Pradesh, is Rs. 9560 crores. Out of that Rs. 3225 crores has been released in the last five months. It is true that the issue which has been raised by the hon. Member has been brought to the notice of the Finance Minister and me yesterday by a delegation of Members of Parliament from Andhra State. उन लोगों का कहना था कि इसमें हमने जो रिलीफ दी है, इस रिलीफ के मुताबिक आंध्र के किसानों का 1810 करोड़ का इंटरेस्ट waive किया है, मगर यह जो पैकेज अनाउंस हुआ है, इस से पहले राज्य सरकार ने वहां एक reschedulement के प्रोग्राम पर अमल किया है और उस से about 60 परसेंट किसान उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। उनको भी इस डिसीजन के benefit zone में लाने की आवश्यकता है। महोदय, इस तरह का प्रपोजल कल ही आया है और हम उस पर गौर करेंगे, उस को expedite करेंगे।

**श्री दिग्विजय सिंह:** सभापति जी, कृषि मंत्री जी ने स्वयं कहा कि किसान 40 परसेंट बैंकिंग सेक्टर या दूसरे माध्यमों से पैसा पाता है। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बाकी 60 परसेंट जो साहूकारों की तरफ से आता है, तो क्या कृषि मंत्रालय ऐसा कोई इंतजाम करेगा जिससे यह पता चल सके कि साहूकारों का कितना पैसा किसानों पर कर्ज के रूप में है और बैंक्स का कितना पैसा कर्ज के रूप में है? तब आप किसानों की ज्यादा-से-ज्यादा मदद कर सकते हैं क्योंकि हर इलाके में, हर गांव में यह तय है कि कौन money lending का पैसा किसानों को देते हैं। अगर आप, इस काम को करेंगे तो किसानों की मदद ज्यादा कर पाएंगे क्योंकि बावजूद इसके कि आप पैकेज बनाकर दे रहे हैं, वह समस्या रूक नहीं रही है। इसका सब से बड़ा कारण यही है।

**श्री शरद पवार:** सर, 60 परसेंट किसानों को क्रेडिट बेनीफिट मिलता है, यह जो मैंने कहा, इस में जो सर्विस इससे पहले हुई, इसके मुताबिक कुछ किसान साहूकारों के पास भी जाते थे और कहीं से भी पैसा लेते थे। वहां फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशंस के मन में एक ऐसी भावना पैदा हई है, हमारे लिए नहीं है, चाहे उन को वहां कोई entertain नहीं करते हों। मगर जहां तक साहूकारों की परिस्थिति है और उसका सर्वे करने का जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, इसे हम स्वीकार करेंगे। इस का burden हर राज्य में कितना है, इस के लिए अगर कोई ऑर्गनाइजेशन मदद कर सकता है तो उसके माध्यम से हम यह information collect कर इसमें रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।

**श्री सभापति :** माननीय मंत्री जी, इस में एक बात जरूर करिए। यह Money Lenders Act हर स्टेट में है, इसे स्ट्रिक्टली implement करवा दीजिए। इस से एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं। सुश्री मैबल रिबैलो।

SHRI K. B. SHANAPPA: Sir, Karnataka is the most severely affected State. It has been a cause of concern. I would request you to kindly give me a chance.

MR. CHAIRMAN : Please take your seat. You will get your chance.

MS. MABEL REBELLO : Sir, nobody is speaking about the farmers committing suicides or farmers suffering in tribals areas of Chhattisgarh and in Jharkhand. These are dry land farmers and they are small and marginal farmers having one acre...

MR. CHAIRMAN : Come to the point.

MS. MABEL REBELLO : They take money from the moneylenders and when the crops fail....

MR. CHAIRMAN : What is your question ?

MS. MABEL REBELLO : I am putting the question, Sir, I want to know if they have any statistics. First of all, these tribal farmers do not have access as to whom to go and how to get relief. They do not know how to make noise. They are voiceless people. They just migrate and become bonded labourers and work as domestic servants. I would like to know from the hon. Minister when the crop of these tribal marginal farmers fail what does the hon. Minister do for them?

SHRI SHARAD PAWAR : I mayself admitted that this is the postion where not more than 40 per cent farmers are getting advantage of this credit policy. फिर भी इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा कि जो किसानों को पैसा देते हैं, क्रेडिट देते हैं, इस में schedule castes भी आते हैं और ट्राइबल्स भी आते हैं।

SHRI PENUMALLI MADHU : What is the special package for tribals?

श्री शरद पवार : मगर यह बात सच है कि ट्राइबल एरियाज में डिस्बर्समेंट कम है । इसीलिए फाइनांस मिनिस्टर और बैंकिंग मिनिस्ट्री ने इस बारे में ध्यान दिया है, जोर दिया है कि इस क्षेत्र में भी डिस्बर्समेंट होना चाहिए। मैंने जो कहा कि 86 thousand से 2 लाख 20 हजार के आसपास पहुंच रहा है, अत: इसमें सुधार तो है, मगर और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। खास तौर पर ट्राइबल बगैराह के ऐसे एरियाज में इसका कैसे सुधार हो सकता है, इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

श्री सभापति : इसमें ट्राइबल्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे खेती तो करते हैं, लेकिन लैंड का title उनके पास नहीं है।

सुश्री मैबल रिबैलो : हां, यह भी है।

श्री सभापति : यह है, तो आप यह बोलतीं न?

सुश्री मैबल रिबैलो : ठीक है, सर। आपने सप्लिमेंट्र में ही थोड़ा-थोड़ा सप्लिमेंट कर लिया। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं।

श्री सभापति : सबसे मोटा कारण यही है। ...(व्यवधान)...

श्री के॰बी॰ शणप्पा: सर, मंत्री महोदय ने एग्रिकल्चर के बारे में कहा है कि यह स्टेट की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा वक्त भी आता है, जब सेंटर की तरफ से हमें देखना पड़ता है। आपने कहा कि नैचुरल कैलामिटी जब आती है, तो उस वक्त हमने बहुत कुछ सपोर्ट दिया है। लेकिन कर्नाटक लास्ट

ईयर में submitted a proposal to the Central Government for giving assistance to the State to the tune of Rs. 1,500 crores. वहां पर 250 करोड़ का एड आपने अब तक दिया है। सर, वहां पर तो 100 लोग मर गए हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र की पोजिशन है, उसी तरह से कर्नाटक की भी है। हमारी आपसे यही उम्मीद थी कि immediately you would be releasing a lot of money to Karnataka, whereas, it has not been done. Therefore, I would request the hon. Minister whether you are going to release the remaining balance to Karnataka.

Secondly, peasants, who have already died, वे किस category के किसान हैं, मार्जिनल हैं या स्मॉल हैं, क्योंकि वहां पर बड़ा किसान कभी नहीं मरा?

**श्री सभापति:** आप इसे देख लेना।

SHRI K. B. SHANAPPA : Therefore, I request the hon. Minister to set up a Committee and survey. क्या ये लोग वे हैं, जो 4, 5 या 10 एकड़ जमीन वाले किसान हैं? सर, यही वे लोग हैं, जो मर रहें हैं?

Therefore, I request the hon. Minister to find out and have a record कि ये लोग...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** ठीक है, ठीक है।...(**व्यवधान**)... Let him reply ...*(Interruptions)*...

**श्री के. वी. शणप्पा:** इतने गरीब लोगों की डैथ होती है। वे सस्टेन नहीं कर सकते मार्केट को। Therefore, I request the hon. Minister to have a survey.

दूसरी बात यह है कि आपने किसानों को जो कहा कि यहां पर क्रॉप इंश्योरेंस...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** आपका जो पहला क्वैश्चन है, वह इम्पॉर्टेंट है। उसका जवाब सुन लें...(**व्यवधान**)...

**श्री के. वी. शणप्पा:** मैं क्रॉप इंश्योरेंस की बात लास्ट में बोल देता हूं...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** क्रॉप इंश्योरेंस तो इसमें नहीं आएगा...(**व्यवधान**)...

**श्री शरद पवार:** सर, इसमें कर्नाटक के लिए जो पैकेज मंजूर किया था, वह 2,689 करोड़ का है। इसमें से Rs. 361 crores actually has been released. माननीय सदस्य ने जो सवाल यहां पर पूछा है कि राज्य सरकार ने हमारे पास और होम मिनिस्ट्री के पास एक प्रोपोजल भेजा है, जिसके मुताबिक उन्होने ज्यादा राशि की मांग की है। इसमें से year 2005-2006 और

2006-2007, दो हफ्ते में ये पैसे मांगे थे। In 2005-06, the total amount that had been released to Karnataka under NCCF was Rs. 358 crores and in 2006-07, the total amount released from NCCF to Karnataka is Rs. 384 crores. इसलिए इसमें कर्नाटक पर भी ध्यान दिया गया है।

**श्री विजय जे. दर्डा:** महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के जानकार कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि देश के अन्दर अलग-अलग भागों में किसान आत्महत्या कर रहे है। उनमें विदर्भ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, केरल आदि अनेक भाग है। क्या आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि किसान किस कारण से आत्महत्या कर रहे है? क्या आपने इस बात की जानकारी ली, क्योंकि आपने अनेक पैकेजेज दिए है, धनराशि की व्यवस्था की है? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इस नीति पर पहुंचे हैं कि किन कारणों से किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं?

श्री शरद पवार: सर, इससे पहले कई राज्यों में जो सर्वे हुए हैं, उसमें इस बारे में जो रीजंस सामने आए हैं, उनमें सबसे बड़ा क्रॉप फेल्योर हैं, दूसरा उन्होंने प्राइवेट मनी लेंडर से जो पैसे लिए हैं, उसके बोझ को सहन करने की उनमें ताकत नहीं रही है, तीसरे कुछ फोइनांसियल इंस्टीटयूशंस से पैसे ले लिए और बाद में इन्वेस्ट करने के बाद क्रॉप हाथ में नहीं आई और ब्याज के ऊपर आने के बाद जो बर्डन उनके सर पर आया, उसे वापस करने की क्षमता उनमें नहीं रही। ऐसे कुछ कारण इसमें खास तौर पर आए हैं। और इसके साथ-साथ खेती अच्छी तरह से करने लिए जो पानी की और जो दूसरी समस्याऐ हैं, उसके लिए देश में सभी जगहों पर सुविधा नहीं है। आज हिन्दुस्तान में 40 प्रतिशत जमीन इरिगेटेड है, 60 प्रतिशत खेती rain-fed यानी बारिश के भरोसे रहने वाली है, जो कई बार किसानों को संकट में ले जाती हैं। आज इसका रास्ता यह है कि इरिगेशन का परसेंटेज बढाने की आवश्यकता और और किसानों को जो फसल की कीमत मिलती है उसको उचित दाम देने के लिए और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब पैदावारी की कीमत बढ़ेगी, जो इसका असर मार्केट में भी हो जाएगा और इससे शिकायतें करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ...(व्यवधान)...

प्रो. राम देव भंडारी: माननीय सभापति जी, कृषि राज्य का विषय हो सकता है, मगर किसानों की समस्या राष्ट्रीय समस्या है और इसलिए हम लगातार सदन में इस पर चर्चा करते रहते है।। अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि 60 प्रतिशत कृषि वर्षा पर आधारित है, लेकिन इसके अलावा बाढ़ है, सुखाढ़ है, तूफान है, जो कई तरह से किसानों का उत्पादन है, उस पर असर करते हैं। मैं बिहार से आता हूं, जहां के 38 जिलों में से लगभग 20 जिले हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। नेपाल से नदियां आती हैं, पानी आता हैं और ऐसी स्थिति होती है कि एक बूंद भी अगर बिहार में पानी न हो, तो भी बाढ़ आती है। इस तरह की देश के सभी क्षेत्रों में कोई न कोई समस्या आती है। सरकार ने कई उपायों के बारे में चर्चा की है, सबसिडी की चर्चा की है, किसान क्रेडिट कार्ड के

बारे में, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के बारे में, व्यापक जोखिम बीमा के बारे में चर्चा की है।

महोदय, दुख की बात यह है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न राज्य हैं, उन्हीं राज्यों में किसान ज्यादा आत्महत्याएं कर रहे हैं। बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है, उत्तर प्रदेश की भी ऐसी स्थिति नहीं है, जबकि हम पिछड़े राज्य हैं। ...(व्यवधान)... उत्तर प्रदेश में बहुत कम हैं, मगर जो संपन्न राज्य हैं, उन राज्यों में ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, वे सही रूप में किसानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। निवेश की बात होती है, अभी कृषि में निवेश बहुत कम हो रहा है। सरकार ने कहा है कि हम इस पर निवेश करने जा रहे हैं। यह गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। महोदय, इस समस्या पर सरकार को गहराई से विचार करना चाहिए क्योंकि 70 प्रतिशत लोग जो खेती से जुड़े हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो देश खुशहाल नहीं होगा।

**श्री सभापति :** ठीक है, हो गया।

**प्रो. राम देव भंडारी:** इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक राष्ट्रीय नीति किसानों के संबंध में बनाई जाए।

**श्री सभापति :** वह कमेटी बनाई है ।..(व्यवधान)..

**प्रो. राम देव भंडारी:** इस प्रकार की राष्ट्रीय नीति बने कि किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े।

**श्री शरद पवार :** सभापति जी, राष्ट्रीय नीति इससे पहले भी इस देश में बनाई थी। वर्ष 2001 में इसी सदन में इस पर डिटेल से बहस करके एक राष्ट्रीय नीति को स्वीकार किया गया था। इसमें सुधार करने की आवश्यकता महसूस हुई और इसलिए डा॰ स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इस देश में कमीशन की नियुक्ति हुई है। कमीशन की फाइनल रिपोर्ट सरकार के पास आई है, पांच रिपोर्ट आई हैं, पांचवीं रिपोर्ट भी है। अब इनकी जो रिकमंडेशन्स हैं, उनका अलग-अलग मिनिस्टरी से संबंध है और इसलिए उनकी राय लेकर फाइनेन्स मिनिस्ट्री फायनल डिसीजन लेने वाली है। इस पर हमारा ध्यान है। दूसरी बात यह जो समस्या इन्होंने बिहार की बताई, वह बात पक्की है जो उन्होंने कहा, मेरा भी ओब्जरवेशन है कि जहां अच्छी खेती है, वहां आत्महत्या के प्रकरण ज्यादा हैं, पंजाब में आत्महत्या के केस ज्यादा होते हैं, महाराष्ट्र में जहां ठीक तरह से खेती होती है, वहां आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं, कर्नाटक में ज्यादा होती हैं, आंध्र प्रदेश में ज्यादा होती हैं, मगर उड़ीसा जैसी स्टेट, बिहार जैसी स्टेट, जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आबादी ज्यादा है, उस एरिये में एक तो इंफोरमेशन मिलती नहीं होगी, लोगों में जागृति नहीं होगी और अगर कुछ होता होगा, तो लोगों के सामने ऐसे उदाहरण आते नहीं होंगे या एक परिस्थिति इतनी गंभीर है, इसकी आदत लोगों को पड़ गई है क्या, ऐसी एक आशंका मेरे मन में आती है।

**प्रो. राम देव भंडारी:** आदत पड़ गई है। सर, ठीक कह रहे हैं मंत्री महोदय।

**श्री शरद पवार :** मुझे लगता है and I honestly feel that States like Orissa are

facing worse situation than Maharashtra. But still we don't get even a single figure about something happening in those States.

तो वह न चले और इसलिए इस पर ध्यान देना होगा।

**Introduction of new Trains**

*162. SHRI KALRAJ MISHRA:
SHRI KRISHAN LAL BALMIKI:†

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether 57 new trains proposed to be introduced during the current financial year have been introduced; and

(b) if so, how many and which of them have been introduced and which ones are still to be introduced and the reasons for delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAY (SHRI R. VELU): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

***Statement***

(a) No, sir.

(b) The train services announced in Railway Budget are introduced during the course of the ensuing financial year. The train services of Railway Budget 2006-07, which have been introduced and the train services which are to be introduced alongwith the reasons for delay are given below.

**Budget 2006-07 train introduced so far**

| Sl. | Train No. | Train Name |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 3153A/3154A | Radhikapur-Sealdah Link Express with 3453/3454 Gour Express (daily) |
| 2 | 2695/2696 | Chennai-Tiruvananthapuram Express (daily) |
| 3 | 219/220 | Mailani-Palia Kalan Passenger (MG) (daily) |
| 4 | MA-1/MA-2 | Mathura-Alwar Passenger (Daily) |

†Original notice of the question was received in Hindi.